यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-I, वा णज्य कर, रूद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-I, वा णज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री एस.एस.दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 12.03.2018 से 22.03.2018 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एन.के.बंसल एवं श्री कलवन्त संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 09.09.2016 से 21.09.2016 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।ररपर

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कर संग्रह ज्वालापुर

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2014-15	28038.26
2015-16	20346.60
2016-17	23623.59

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				लागू नहीं		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'ए'... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- अ सस्टेंट क मश्नर - राज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-**I** वा णज्य कर रूद्रपुर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-**I** वा णज्य कर रूद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:**

राजस्व: - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (क)

प्रस्तर-1 आई0टी0सी0 का अ धक लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 7.54 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 5 (घ) के अनुसार, इनपुट टैक्स का लाभ माल के क्रय पर दिये गये कर की वास्त वक दर या इस अ धनियम के अधीन लागू होने वाली दर, जो भी कम हो, होगा ।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-प्रथम, वा णज्य कर, रूद्रपुर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री इण्टरपम्प हाइड्रो लक्स इण्डिया प्रा0 ल0, रूद्रपुर, टिन नं0 05009585565 द्वारा क0नि0 वर्ष 2013-14 में (संलग्न ववरण) उल्लि खत वस्तु 'Hoses' की प्रान्तीय खरीद ` 55,33,594 पर 13.5% की दर से वास्त वक ` 7,47,038 इनपुट टैक्स क्रे डट (आई0टी0सी0) क्लेम कया गया था जब क उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की अनुसूची- II (ख) की प्र वष्टि सं0 53 के अनुसार 'Hose pipes and fittings thereof' के अन्तर्गत आती है जिस पर 5% की दर से ` 2,76,679.70 करदेयता थी । इस प्रकार, ` 55,33,594 की प्रान्तीय खरीद पर अन्तरीय दर 8.5% अर्थात् (13.5% - 5%) से ` 4,70,358.30 आई0टी0सी0 अनिय मत क्लेम कया गया था । जिसे रिवर्स (reverse) कया जाना अपे क्षत था ।

सके अतिरिक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.3.17 में जमा/आई0टी0सी0 का लाभ देने के उपरान्त ` 42,113 अ धक जमा था । इस प्रकार, शेष धनरा श ` 4,28,245.30 अर्थात् (` 4,70,358.30 - ` 42,113) पर फरवरी, 2018 तक (दिनांक 01.10.13 से 28.02.18 = 53 माह) का ब्याज ` 2,83,403.12 भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः आई0टी0सी0 का अ धक लाभ दिये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ` 4,70,358.30 +` 2,83,403.12 (ब्याज) कुल ` 7,53,761.42अर्थात् `7.54 लाख का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>“संलग्न ववरण”</u>

FORM XXIX

Register of Purchase

Name and address of dealer:-Interpump Hydraulics India P. Ltd., Rudrapur, U. S. Nagar
TIN: 05009585565

Sl. No.	Name & address of selling dealer	Purchase Invoice No.	Date	Amount (`)	Description of goods	U.A. Purchase @ 13.5%	Claimed ITC @ 13.5%	Admissible ITC @5%	Inadmissible ITC
1.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2012184	31.3.13	57756	Hoses	50886	6870	2544.30	4325.70
2.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013006	13.3.13	47373	-do-	41738	5635	2086.90	3548.10
3.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013009	22.4.13	116519	-do-	102660	13859	5133.00	8726.00
4.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2012183	31.3.13	337534	-do-	292100	39434	14605.00	24829.00
5.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2012171	18.3.13	316186	-do-	278578	37608	13928.90	23679.10
6.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013022	21.5.13	105328	-do-	92800	12528	4640.00	7888.00
7.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013011	30.4.13	87885	-do-	77432	10453	3871.60	6581.40
8.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013026	25.5.13	258122	-do-	227420	30702	11371.00	19331.00
9.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013021	21.5.13	496982	-do-	437870	59112	21893.50	37218.50
10.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013024	21.5.13	14585	-do-	12850	1735	642.50	1092.50
11.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013020	21.5.13	184901	-do-	162908	21993	8145.40	13847.60
12.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013029	13.6.13	23506	-do-	20710	2796	1035.50	1760.50
13.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013030	13.6.13	778610	-do-	686000	92610	34300.00	58310
14.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013080	26.11.13	185913	-do-	163800	22113	8190.00	13923
15.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013079	23.11.13	27832	-do-	24522	3310	1226.10	2083.90

16.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013089	19.12.13	467166	-do-	411600	55566	20580.00	34986.00
17.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	20130101	2.1.14	17116	-do-	15080	2036	754.00	1282.00
18.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013105	21.1.14	576535	-do-	507960	68575	25398.00	43177.00
19.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013111	6.2.14	11849	-do-	10440	1409	522.00	887.00
20.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013110	6.2.14	14483	-do-	12760	1723	638.00	1085.00
21.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013117	19.2.14	62902	-do-	55420	7482	2771.00	4711.00
22.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013120	26.2.14	325280	-do-	286590	38690	14329.50	24360.50
23.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013115	19.2.14	7423	-do-	6540	883	327.00	556.00
24.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013116	19.2.14	605874	-do-	533810	72064	26690.50	45373.50
25.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013119	19.2.14	3405	-do-	3000	405	150.00	255.00
26.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013130	20.3.14	8513	-do-	7500	1013	375.00	638.00
27.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013129	20.3.14	486631	-do-	428750	57881	21437.50	36443.50
30.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013133	28.3.14	8513	-do-	7500	1013	375.00	638.00
31.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013134	28.3.14	11066	-do-	9750	1316	487.50	828.50
32.	Hi Rel Engineers, Rudrapur	2013135	28.3.14	640844	-do-	564620	76224	28231.00	47993.00
					TOTAL	**55,33,594**	**747038**	**2,76,679.70**	**470358.30**

भाग 2 (क)

प्रस्तर-2 कर का न्यूनारोपण व ब्याज की देयता के कारण राजस्व क्षति ₹ 10.50 लाख।

वैट अ धनियम की धारा 4 (2)(ख)(i)(ख) एवं (ई) के अनुसार अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में पांच प्रतिशत तथा अवर्गीकृत माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा-57 दिनांक 01.01.2012 के निर्णयानुसार आयरन स्क्रैप से भन्न स्क्रैप पर उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा-4 की उपधारा (2)ए, क्लॉज (बी) के सब क्लॉज (i)(ई) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता रहेगी ।

(i) कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-प्रथम, वा णज्य कर, रूद्रपुर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री एड वक हाइटैक प्रा0 ल0, रूद्रपुर, टिन नं0 05006353719 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में (संलग्न ववरण) उल्लि खत ` 13,45,680 की आयरन स्क्रैप से भन्न स्क्रैप की बिक्री 5% की दर से कया गया था, जब क उक्त वस्तुएं अवर्गीकृत श्रेणी में होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपणीय था । इस प्रकार, आयरन स्क्रैप से भन्न स्क्रैप की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5% (13.5% - 5%) की दर से ` 1,14,382.55 कर कम आरो पत कया गया था । इस पर 15% वा र्षक की दर से फरवरी, 2018 तक (दिनांक 01.10.2013 से 31.03.2018) 54 माह का ब्याज ` 77208.22 बनता है । इस प्रकार, व्यापारी द्वारा ` 1,91,590.77 (` 1,14,382.55+` 77208.22)अर्थात् ` 1.92 लाख देय है ।

(ii) एक अन्य व्यापारी सर्वश्री मन्डा इन्ड0 ल0, (एकोस्टिक डवीजन), पन्तनगर, टिन नं0 05008795791, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा `8,51,85,674 के आटोमोटिव हार्न की प्रान्तीय बिक्री की गयी थी । जो क 13.5% की करयोग्य वस्तु है । जब क कर निर्धारण आदेश में ट्रैक्टर पार्ट्स एण्ड आयरन स्क्रैप की बिक्री ` 60,32,303.32 दर्शाते हुए 5% की दर से कर आरो पत कया गया था । इस प्रकार, व्यापारी द्वारा की गयी आटोमोटिव हार्न की बिक्री ` 60,32,303.32 पर अन्तरीय कर 8.5% (13.5 – 5) की दर से ` 5,12,746 की करदेयता अ धक बनती है और इस धनरा श पर 31.3.18 तक 54 माह का 15% वा र्षक की दर से ` 3,46,104 ब्याज भी देय है । अतः व्यापारी द्वारा कुल ` 8,58,850/- देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा दोनों ही प्रकरणों में जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्न ववरण"

M/s Advik Hi-Tech Pvt. Ltd., Pant Nagar (Uttarakhand)

LOCAL SALE (SCRAP) DURING THE PERIOD 01.04.2013 TO 31.03.2014

क्रम सं0	पार्टी का नाम	टिन नं0	माल का ववरण	माल का मूल्य (`)	आरो पत कर (`) (@ 5 %)	आरोपणी य कर (`) (@13.5%)	अन्तर की धनरा श (`)
1.	Sameer Trading Co.	05004544184	Zink Scrap Burr	22643.63	1132.18	3056.89	1924.71
2.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	19901.30	995.07	2686.67	1691.60
3.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	9428.80	471.44	1272.88	801.44
4.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	14626.00	731.30	1974.51	1243.21
5.	-do-	-do-	Zink Scrap Burr	8709.58	435.48	1175.79	740.31
6.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	14029.60	701.48	1893.99	1192.51
7.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	19659.90	983.00	2654.08	1671.08
8.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	18687.20	934.36	2522.77	1588.41
9.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	18347.10	917.36	2476.85	1559.49
10.	-do-	-do-	Zink Scrap Burr	3865.20	193.26	521.801	328.54
11.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	9508.20	475.41	1283.60	808.19
12.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	12392.40	619.62	1672.97	1053.35
13.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	22618.20	1130.91	3053.45	1922.54
14.	-do-	-do-	Zink Scrap Burr	10891.49	544.57	1470.35	925.78
15.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	5908.47	295.42	797.64	502.22
16.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	38659.50	1932.98	5219.03	3286.05
17.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	38659.50	1932.98	5219.03	3286.05
18.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	38659.50	1932.98	5219.03	3286.05
19.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	32518.00	1625.90	4389.93	2764.03
20.	-do-	-do-	Aluminium Scrap	16024.00	801.24	2163.24	1362.00

			Burr				
21.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	20128.50	1006.43	2717.34	1710.91
22.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	12666.40	633.32	1709.96	1076.64
23.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	17196.20	859.81	2321.48	1461.67
24.	-do-	-do-	AluminiumScrap Burr	14697.00	734.85	1984.09	1249.24
25.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	8804.00	440.20	1188.54	748.34
26.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	27221.40	1361.07	3674.88	2313.81
27.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	14342.00	717.10	1936.17	1219.07
28.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	34037.07	1701.85	4595.00	2893.15
29.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	36675.19	1833.76	4951.15	3117.39
30.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	14497.14	724.86	1957.11	1232.25
31.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	34814.90	1740.75	4700.01	2959.26
32.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	69800.43	3490.02	9423.05	5933.03
33.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	38697.76	1934.89	5224.19	3289.30
34.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	63625.01	3181.25	8589.37	5408.12
35.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	45156.60	2257.83	6096.14	3838.31
36.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	69410.78	3470.54	9370.45	5899.91
37.	-do-	-do-	AluminiumScrap Burr	45367.43	2268.37	6124.60	3856.23
38.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	34201.07	1710.05	4617.14	2907.09
39.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	48785.66	2439.28	6586.06	4146.78
40.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	43506.06	2175.30	5873.31	3698.01
41.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	33289.34	1664.47	4494.06	2829.59
42.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	50273.43	2513.67	6786.91	4273.24
43.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	12859.70	642.99	1736.05	1093.06
44.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	26902.81	1345.14	3631.87	2286.73
45.	-do-	-do-	Aluminium Scrap	31612.30	1580.62	4267.66	2687.04

			Burr				
46.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	31994.40	1599.72	4319.24	2719.52
47.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	20376.54	1018.83	2750.83	1732.00
48.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	39528.53	1976.43	5336.35	3359.92
49.	-do-	-do-	Aluminium Scrap Burr	29475.16	1473.76	3979.14	2505.38
TOTAL				13,45,680.00			**1**,14,382.55

भाग-दो (क)

प्रस्तर-3 धारा 10-क के अन्तर्गत अर्थदण्ड का अनारोपण ` 465.60 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 (ई) के अन्तर्गत कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से करदेयता है ।

केन्द्रीय बिक्रय-कर अ धनियम, 1956 की धारा 10 (ख) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी होते हुए कसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मथ्या जाहिर करेगा क माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अन्तर्गत है तो उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ल खत आदेश द्वारा शास्ति के रूप में उतनी रा श उस पर अ धरो पत कर सकेगा जितनी उस कर के डेढ़ गुने से अ धक न हो, जो उस माल पर उसको कए गये वक्रय की बाबत 8 की उपधारा 2 के अधीन उस दशा में उद्ग्रहित कया जाता ।

(i) कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-प्रथम, वा णज्य कर, रूद्रपुर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री शापुरजी पालूनजी एण्ड कं0 ल0, रूद्रपुर, टिन नं0 05006224127 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में फार्म-सी के सापेक्ष ग्रास एवं कारपेट ` 57,54,611 का खरीदा गया था जिसकी खरीद हेतु व्यापारी (पंजीयन अ भलेखानुसार) अ धकृत नहीं था । अतः इस अना धकृत खरीद पर ` 11,65,309 अर्थात् (` 57,54,611 x 13.5% x1.5) अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरो पत नहीं कया गया ।

(ii) व्यापारी सर्वश्री मन्डा इन्ड0 ल0, (एकोस्टिक डवीजन), पन्तनगर, टिन नं0 05008795791, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में निर्गत 192 फार्म "सी" में कुछ फार्म 'सी'` 17,60,51,878/- की ऐसी खरीद के सापेक्ष <u>"संलग्नक-1"</u> निर्गत कये गये थे, जो व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन में शा मल नहीं है । अतः व्यापारी इन वस्तुओं की खरीद के लए केन्द्रीय पंजीयन के अनुसार अ धकृत नहीं था ।

अतः इस अना धकृत खरीद पर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत कर ` 2,37,67,003/- (` 17,29,55,932/- x13.5%) का डेढ़ गुना ` 3,56,50,505/-/- अर्थदण्ड आरोपणीय था । जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया ।

(iii) व्यापारी सर्वश्री फसरोक केमकल (इण्डिया) प्रा0 ल0, रूद्रपुर, टिन नं0 05006224903, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में फार्म-सी से ` 2,03,02,083.89 (` 1,14,08,503.50 का स लका सैंड एवं ` 88,93,580.39 क्वार्ट्ज सैंड) का मंगाया गया था, जिसकी खरीद हेतु व्यापारी (पंजीयन अ भलेखानुसार) अ धकृत नहीं था । अतः इस अना धकृत खरीद पर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत ` 41,11,172 (` 2,03,02,083.89 x 13.5% x 1.5) अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया ।

(iv) व्यापारी सर्वश्री क्यू मन्स टैक्नोलोजी इण्डिया ल0, टिन नं0 05009251691, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा निर्गत प्रपत्र 'सी' में कुछ फार्म 'सी' ` 2,78,15,946 की (संलग्नक -2) ऐसी खरीद के सापेक्ष निर्गत कये गये थे, जो व्यापारी के केन्द्रीय पंजीयन में शा मल नहीं है । अतः इस अना धकृत खरीद पर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत ` 56,32,729 अर्थात् (` 2,78,15,946 x 13.5% x 1.5) अर्थदण्ड आरोपणीय था । जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर उपरोक्त सभी प्रकरणों में वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

RS/CT-162/2017-18

“संलग्न -1”

सर्वश्री मन्डा इन्ड0 ल0, (एकोस्टिक डवीजन), पंतनगर

निर्गत “सी” फार्म में शा मल वस्तुओं की सूची

Sl. No.	Name of component	Value of component (`)
1.	Gaskit	6863510
2.	Fixed Nuclues	24033634
3.	Mobile Nuclues	1246481
4.	Mounting Breckit	57866534
5.	Bracket	20476990
6.	Filter	911625
7.	Silicon	22,08,852
8.	Three Bond	54256
9.	Thinner/Ink,Thinner	391667
10.	Bobbion	16,57,121
11.	Housing	1,58,37,700
12.	Resonator/Housing	44503508
	TOTAL	17,60,51,878

संलग्न -2

सर्वश्री क्यू मन्स टैक्नोलोजी इण्डिया ल0

निर्गत “सी” फार्म में शा मल वस्तुओं की सूची

Sl. No.	Name of component	Value of component (`)
1.	Housing Compressor Cover	13138581
2.	Actuator Assembly	1,25,04,794
3.	Elbow Coupling	5,26,960
4.	Bracket Assembly	1645611
	TOTAL	27815946

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-01 स्वीकृत कर वलम्ब से जमा करने पर ब्याज का वसूल न कया जाना ` 30.65 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 34 के अनुसार, कर के रूप में निर्धारित धनरा श वनिर्दिष्ट रीति से और कर निर्धारण आदेश और मांगपत्र की तामीली के 60 दिन के भीतर जमा न करने पर अ धनियम की धारा 4 के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर वहित समय के भीतर जमा करने में वफल होने पर अदत्त धनरा श पर वहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनरा श के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वा र्षक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-प्रथम, वा णज्य कर, रूद्रपुर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री बजाज ऑटो ल. रुद्रपुर, टिन नं0 05006246825, कर निर्धारण वर्षः 2007-08/धारा 25(7) एवं 9(2) (प्रतिप्रे षत) द्वारा वर्ष 2007-08 का चौथा तिमाही (4rth quarter) का स्वीकृत कर ` 29,01,105.00 दिनाँक 03/05/2014 को एवं ` 5,05,000.00 दिनांक 13/03/2014 को जमा कया गया था।

इस प्रकार दिनांक 26/04/2008 (देय ति थ) से 02/05/2014 तक कुल 72 माह 07 दिन (2901105 x 15/100x72/12= ` 2,61,0,994.00 एवं (` 2901105x15/100x07/12 /30= ` 8461.00 ) का ब्याज ` 26,19,455 तथा इसी प्रकार दिनांक 26/04/2008 (देय ति थ) से 12/03/2014 तक कुल 70 माह 16 दिन (` 505000 x 15/100 x 70/12= ` 4,41,875.00 एवं (` 505000x15/100x16/12 x 30)= ` 3,367.00) कुल ` 4,45,242.00 ब्याज आरो पत कर वसूला जाना था। इस प्रकार कुल ` 30,64,697 (2619455+445242) ब्याज आरो पत कर वसूल कया जाना अपे क्षत था। ले कन अ भलेखो में स्वीकृत कर देरी से जमा करने पर ब्याज वसूला जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-02 आई0टी0सी0 का अनियमित दावा ` 66.23 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 2 के अंतर्गत इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट है, किये गये क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत ब्यौहारी द्वारा विक्रेता ब्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी की विहित की जाये ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-प्रथम, वाणिज्य कर, रूद्रपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सग्नोट इण्डिया लि0, पन्तनगर, टिन नं0 05013737165, कर निर्धारण वर्षः 2013-14 में पैकिंग मैटेरियल के निर्माण एवं बिक्री हेतु पंजीकृत है । फर्म सर्वश्री आई0टी0डब्लू0 इण्डिया लि0 के नाम से पूर्व में संचालित थी । व्यापारी का नाम बदलकर सर्वश्री सग्नोट इण्डिया लि0 दि0 1-12-13 से कर दिया गया था । व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ` 15,52,00,097/- की खरीद पर ` 77,97,519 का आई0टी0सी0 क्लेम किया गया था ।

आगे जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा अपने पूर्व नाम से संचालित फर्म आई0टी0डब्लू0 इण्डिया लि0 से की गयी खरीद पर आई0टी0सी0 ` 66,22,726 का क्लेम किया गया था जो क्लेम अनुमन्य नहीं था । इस पर नियमानुसार ब्याज अपेक्षित है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (क)

प्रस्तर-04 क्रय पर कर व अर्थदण्ड का अनारोपण ` 97.75 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 10 (क) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यौहारी से ऐसी परिस्थिति में अपने कारोबार के दौरान माल का ऐसा क्रय करता है जो उस पंजीकृत व्यौहारी द्वारा ऐसे माल के वक्रय कीमत पर इस अ धनियम के अन्तर्गत कोई कर देय नहीं है एवं इसी अ धनियम की धारा 3 (10) (ख) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी से भन्न कसी व्यक्ति से माल का क्रय कया गया है और ऐसे माल के वक्रय पर कर वक्रेता पर उद्ग्रहित नहीं कया जा सकता है । चाहे इस अ धनियम के कसी उपबन्ध की दृष्टि में या वक्रेता व्यवहारी ने, कर का दायी होने पर भी, पंजीयन प्राप्त नहीं कया है तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का दायी होगा, यदि माल का अन्यथा उपयोग या उपभोग कया गया है और ऐसा कर उसी दर से आरो पत कया जायेगा जिस पर ऐसे माल की राज्य के अन्दर क्रय की तारीख पर इस अ धनियम के अधीन माल के वक्रय पर आरो पत कया गया होता । उक्त अ धनियम की धारा 58 की उपधारा 1(xiv) के अन्तर्गत मथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कर की उस धनरा श का कम से कम 50 प्रतिशत कन्तु 200 प्रतिशत से अना धक अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-प्रथम, वा णज्य कर, रूद्रपुर के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री चेप इण्डिया प्रा0 ल0. रूद्रपुर, टिन नं0 05008897253, प्लास्टिक क्रेट, वुडेन प्लेट की खरीद बिक्री हेतु दिनांक 17.04.2009 से पजीकृत है । व्यापारी द्वारा वर्ष 2011-12 में ` 5103126 की खरीद के सापेक्ष ` 3,41,53,854 का स्टॉक ट्रांसफर कया गया था । इसी प्रकार, वर्ष 2012-13 में ` 1,02,88,288 की खरीद के सापेक्ष ` 11,15,66,701/- का स्टॉक ट्रांसफर कया गया था । इस प्रकार व्यापारी द्वारा वर्ष 2011-12 में ` 2,90,50,728 (` 34153854 - ` 5103126) एवं वर्ष 2012-13 में ` 10,12,78,413/- (` 111566701 - ` 10288288) खरीद से ज्यादा स्टॉक ट्रांसफर कया गया था । व्यापारी द्वारा इस खरीद के सम्बन्ध में कोई भी अ भलेख पत्राव लयों में प्रस्तुत नहीं कये गये थे । इससे स्पष्ट होता है क व्यापारी द्वारा उक्त वर्षों में ` 13,03,29,141/- (` 29050728 + ` 101278413) की खरीद अपंजीकृत से की गयी थी । इस खरीद पर उपरोक्त अ धनियम की अनुसूची II (ख) के क्रमांक 122 के अनुसार 5% की दर से ` 65,16,457/- की करदेयता बनती है ।

उपरोक्त अ धनियम की धारा 58 की उपधारा 1(xiv) के अन्तर्गत न्यूनतम 50% ` 32,58,228/- अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया ।

यह भी उल्लेखनीय है क व्यापारी द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 में क्रमशः ` 57,03,717/-, 54,79,382/- की खरीद व ` 16,23,803/-, 1,06,34,087/- का स्टॉक

ट्रांसफर कया गया था । इस प्रकार, व्यापारी के पास वर्ष 2011-12 में प्रारम्भिक अवशेष शून्य था ।

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही कये जाने का आश्वासन दिया गया है ।

अतः कर व अर्थदण्ड का अनारोपण ` 97,74,685 का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (क)

प्रस्तर-05 देय कर वलम्ब से जमा करने के बावजूद अर्थदण्ड का अनारोपण ` 9.29 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1 (VII) (ख) के अनुसार यदि अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया गया तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, कन्तु अ धक से अ धक 25 प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो, और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर ₹10000 से अ धक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय उप आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1,रुद्रपुर के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया क निम्न ल खत ब्यापरियो के द्वारा कर निर्धारण वर्षो में स्वीकृत कर ₹ 92,85,962/- वलम्ब से जमा कया गया था। स्वीकृत कर वलम्ब से जमा करने पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से ₹ 928596.2 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया। (ववरण संलग्न है)।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त कार्यवाही कया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

“संलग्न ववरण”

देय कर वलम्ब से जमा करने के बावजूद अर्थदण्ड का अनारोपण

क्र. सं.	ब्यापरी का नाम	माह	धनरा श(`)	देय ति थ	जमा करने की ति थ	अर्थदण्ड(`)
1	सर्वश्री कला सक औटोमेसन एवं कंट्रोल, रुद्रपुर	जुलाई 2013	300000.00	25/08/2013	04/09/2013	30000.00
		अगस्त 2013	150000.00	25/09/2013	26/09/2013	15000.00
		सतंबर 2013	253336.00	25/10/2013	26/10/2013	25333.60
		अक्टुबर 2013	234128.00	25/11/2013	28/11/2013	23412.80
		नवंबर 2013	166893.00	25/12/2013	27/12/2013	16689.30
		फरवरी 2013	193139.00	25/03/2014	31/03/2014	19313.90
		मार्च 2014	116417.00	25/04/2014	27/04/2014	11641.70
2	सर्वश्री आर. एम. इंटरप्राइजेज़, रुद्रपुर	जनवरी 2014	166668.00	25/02/2014	26/02/2014	16666.80
		मार्च 2014	330934.00	25/04/2014	30/04/2014	33093.40
3	सर्वश्री संजय टेक्नोप्लास्ट प्रा. ल., पंतनगर	अप्रैल 2013	315336.00	25/05/2013	03/06/2013	31533.60
		नवम्बर 2013	106055.00	25/12/2013	27/12/2013	10605.50
4	प्रीकोल ल मटेड, पांतनगर	अगस्त 2013	1485544.00	25/09/2013	27/09/2013	148554.40
5	बजाज ऑटो ल मटेड, पंतनगर	अप्रैल 2007	457924.00	25/05/2007	01/06/2007	45792.400
		मई 2007	4619635.00	25/06/2007	30/06/2007	461963.50
		जून 2007	197857.00	25/07/2007	29/07/2007	19785.70
		मार्च 2007	358764.00	25/04/2007	29/04/2007	35876.40
		योग	9285962	10%		928596.2

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-03 एक्सपोर्ट बिक्री पर कर का अनारोपण ` 5.40 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 (आ) के अन्तर्गत अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% की दर से कर देयता है ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 2 (ई) के अन्तर्गत कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से कर देयता है ।

(i) कार्यालय डप्टी क मश्नर (क0नि0)-प्रथम, वा णज्य कर, रूद्रपुर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री सग्नोट इण्डिया ल0, पन्तनगर, टिन नं0 05013737165, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ` 48,18,088 का स्वनि र्मत पै कंग मैटेरियल देश के बाहर डायरेक्ट एक्सपोर्ट दर्शाते हुए करमुक्त माना गया है जब क व्यापारी द्वारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट न करते हुए अपनी शाखा हैदराबाद से एक्सपोर्ट करने के साक्ष्य (बिल ऑफ लैं डंग) प्रस्तुत कये गये थे जिस पर वभाग द्वारा करमुक्ति प्रदान की गयी थी जिसे अनुमन्य कया जाना अपे क्षत नहीं था ।
इस प्रकार, उक्त बिक्री पर 5% की दर से ` 2,40,904 कर आरो पत व दिनांक 31.3.18 तक 54 माह का 15% वा र्षक की दर से ब्याज ` 1,62,610 अपे क्षत है ।

(ii) व्यापारी सर्वश्री क्यू मन्स टैक्नोलोजी इण्डिया ल0, टिन नं0 05009251691, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ` 6,02,977 का प्लाण्ट एवं मशीनरी का भी आयात कया गया था जो व्यापारी की बैलेन्स शीट में प्रद र्शत नहीं होता है । इस लये इसको बिक्री मानते हुए 13.5% की दर से ` 81,402 की करदेयता बनती है एवं इस धनरा श पर मार्च, 2018 तक 54 माह का 15% की दर से ` 54,946 ब्याज बनता है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क जांचोपरान्त कार्यवाही कया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
CT-04/2005-06	01	01,02
CT-17/2006-07	01	01,02
CT-10/2007-08	01,02	01,02,03,04

CT-17/2008-09	01,02	
CT-23/2009-10	01	
CT-11/2010-11	01,02,03,04,05,06	
CT-54/2011-12	02,03	02
CT-38/2012-13	01	02
CT-23/2013-14	-	01,02,03,04,05,06,07,08
CT-16/2014-15	01,02,03, 05	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय डप्टी कमिश्नर (क.नि.)-I, वाणिज्य कर, रूद्रपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
2. सतत् अनियमितताएः

टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री डी.एस.नबियाल	उपायुक्त(01.04.16 से 21.07.16)
2	श्री एन.एस.बोरा	उपायुक्त(21.07.16 से 24.08.16)
3	श्रीमती मोहिता भण्डारी	उपायुक्त(24.08.16 से 01.03.17)
4	श्री तारकेश्वर मश्रा	उपायुक्त(02.03.17 से 31.03.17)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-I, वा णज्य कर, रूद्रपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र